



हिन्दी समाचार पत्र दौसा और जयपुर से प्रकाशित

# राजस्थान की राजनीति



E-mail: tniawaz.news@gmail.com

आपकी आवाज के साथ....

RAJHIN/2012/43137

जयपुर, दौसा, करौली, अलवर, टोक, अजमेर, भरतपुर, धौलपुर, बीकानेर, कोटा, सर्वाईमाधोपुर से प्रसारित

गुरुवार, 13 मार्च, 2025

वर्ष: 2

अंक: 128

पृष्ठ: 8

मूल्य: 2.00 रु.

[www.hpnews.in](http://www.hpnews.in)/[www.tniawaaz.in](http://www.tniawaaz.in)

12 वर्षों से लगातार प्रकाशित

हिन्दी समाचार पत्र

# राजस्थान की राजनीति



सभी देश-प्रदेश एवं क्षेत्रवासियों को  
**होलिका दहन एवं रंगोत्सव**  
हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं...

Jio Fiber

Jio tv+

चैनल नं. 2008



Happy Holi

coming  
soon

airtel  
Xstream

TATA (SKY)

1st Floor, 18K3, Pankaj Singhvi Marg, Near Raj. Vidhan Sabha, Jyoti Nagar, Jaipur (Raj.)

[www.rajasthankirajneeti.com](http://www.rajasthankirajneeti.com) • [www.tasneemtv.com](http://www.tasneemtv.com) • [www.tniawaaz.in](http://www.tniawaaz.in)

[tasneemtv.official@gmail.com](mailto:tasneemtv.official@gmail.com) • [editor.tniawaaz@gmail.com](mailto:editor.tniawaaz@gmail.com)



GET IT ON  
Google Play

YouTube





होली पर विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने प्रदेश वासियों को दी शुभकामनाएं

राजस्थान की राजनीति, जयपुर। राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने होली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। विस अध्यक्ष देवनानी ने कहा है कि होली का त्योहार

न केवल रंगों और उल्लास का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक समरसता, आपसी समन्वय और आचारात्मिक चेतना का भी परिचायक है। यह भारतीय समाज की उस विशिष्टता को दर्शाता है

जिसमें विविधता में एकता की भावना निहित है। अनेक सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद होली का पर्व आपसी प्रेम, भेदभाव का विवरण और समाज में सामूहिक सौहार्द को बढ़ावा देता है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि होली का पर्व उन त्योहारों में से है, जो सामूहिकता की भावना को प्रबल करते हैं, व्याप्तिक होली एक ऐसा त्योहार है जिसे अकेले नहीं मनाया जा सकता। यह रंगों का पर्व है। इस पर्व में होली का वर्णन हर व्यक्ति के भीतर और बाहर मिलकर एक संगतित समुदाय का निर्माण करते हैं। इस पर्व में होली का वर्णन हर व्यक्ति के भीतर और बाहर मिलकर एक संगतित समुदाय का निर्माण करते हैं।

जिसमें विविधता में एकता की भावना निहित है। अनेक सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद होली का पर्व आपसी प्रेम, भेदभाव का विवरण और समाज में सामूहिक सौहार्द को बढ़ावा देता है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने कहा कि होली का पर्व उन त्योहारों में से है, जो सामूहिकता की भावना को प्रबल करते हैं, व्याप्तिक होली एक ऐसा त्योहार है जिसे अकेले नहीं मनाया जा सकता। यह रंगों का पर्व है। इस पर्व में होली का वर्णन हर व्यक्ति के भीतर और बाहर मिलकर एक संगतित समुदाय का निर्माण करते हैं। इस पर्व में होली का वर्णन हर व्यक्ति के भीतर और बाहर मिलकर एक संगतित समुदाय का निर्माण करते हैं।

## गाँव झटोला में बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गई डिस्कॉम टीम पर हमला

जेईएन ने दर्ज कराया मामला, डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की काट दी थी बिजली

राजस्थान की राजनीति बयाना 12 मार्च (अपन

प्रयास किया। डिस्कॉम की टीम



जालानी।) बयाना में बिजली बिल की बकाया राशि वसूलने गई डिस्कॉम की टीम के साथ ग्रामीणों ने मारपीट कर दी। ग्रामीणों ने

जैसे तैसे जान बचाकर गांव से बाहर निकली। ग्रामीणों ने डिस्कॉम के सरकारी वाहन पर पथराव भी किया। एक दिन पुरानी

इस घटना को लेकर डिस्कॉम

जेईएन ने 4 नामजद ग्रामीणों

बिलाफ के दर्ज कराया है।

बावराई जोप्सएस के जेईएन

सुनील कुमार शर्मा ने दर्ज कराई

रिपोर्ट में बताया कि 11 मार्च को

दोपहर करीब 3:15 बजे वह

विभाग के उच्चाधिकारियों के

निवेश पर झटोला गांव में टीम के

साथ उपभोक्ताओं से बिजली

बिलों की बकाया राशि वसूलने

गए थे। जहाँ बकाया राशि जमा

नहीं कराने वाले डिफॉल्टर

उपभोक्ताओं की बिजली सप्लाई

बन्द कर केबिल उतारी गई थी।

इस बात से नाराज होकर उपभोक्ता

ग्रामीण कुर्क सिंह, पीयूष, रावद,

उमेदी आरोग्य मैंके पर पहुंचे।

जेईएन का आरोग्य विभाग ने ग्रामीणों ने जब की गई केबिल को

सरकारी पिकअप से वापस उतारने

की काशिश।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला

## परशुराम बीएड कालेज में मनाया गया होली मिलन समारोह

रंगांरंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रही धूम

राजस्थान की राजनीति बयाना 12 मार्च (अपन

प्रश्नावाचक विभाग

जेईएन ने एक बार बाहन चोर विशेषज्ञ विभाग

जिला कलवटर

उपभोक्ता की विभागीय विभाग

जिला कलवटर

उप



## अमीरी-गरीबी की खाई

देश के लगभग 100 करोड़ भारतीयों के पास इतनी आय नहीं है कि वे विवेकाधीन वस्तुओं पर कुछ भी खर्च कर सकें। अर्थात् वे किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु पर अतिरिक्त खर्च करने में असमर्थ हैं। लोग जरूरत के अलावा सामान या सुविधाएं नहीं खरीद सकते। वहीं, देश के केवल 10 फीसदी लोग, अर्थात् 13-14 करोड़ लोग देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं, क्योंकि ये लोग ही सबसे ज्यादा खर्च करते हैं और देश की तरकी की बड़ा रोल निभाते हैं। केंद्र सरकार एक तरफ देश में तरकी का नया मॉडल पेश करते हुए विकसित भारत की तरफ बढ़ते कदमों का आंकड़ा पेश करती है, वहीं गरीबी और अमीरी की बढ़ती खाई ने इस मॉडल पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। ब्लूम वैचर्स की इंडिपैशन वैली की आर्थिक रिपोर्ट 2025 भारत की आर्थिक विषमता की यह तस्वीर पेश करती है। इस रिपोर्ट का सरकार द्वारा किसी तरह प्रतिवाद नहीं किए जाने से साक जाहिर है कि देश की आर्थिक सेहत एक तरफा जा रही है। अमीरी और गरीबी की खाई का चौड़ा होना जारी है। रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत का उपभोक्ता बाजार बड़े स्तर पर विस्तार नहीं कर रहा है, बल्कि एक ही जगह गहरा होता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि भले ही अमीर लोगों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ियां नहीं हो रही हैं, लेकिन जो लोग पहले से ही अमीर हैं, वे और भी अमीर हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार शीर्ष 10 प्रतिशत भारतीयों (10 सबसे अमीर भारतीय) के पास अब कुल नेशनल आय का 57.7 प्रतिशत हिस्सा है, जो पहले 1990 में 34 प्रतिशत था, जबकि निचले स्तर पर यह हिस्सा पहले के 22.2 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह गया है। इसके अलावा, 30 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने हाल फिलहाल खर्च करना शुरू किया है। ये लोग भी अपने खर्च को लेकर बहुत सावधान हैं। खर्च करने वाला वर्ग बढ़ नहीं रहा! आंकड़ों के मुताबिक 5 साल पहले रियल एस्टेट की कुल बिक्री में अफोर्डेबल हाउसिंग की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत थी, जो अब घटकर महज 18 प्रतिशत रह गई है। इस महीने पेश हुए बजट में वित्र मंत्री निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग की जेब ढीली करने के लिए टैक्स में छूट दी। 12 लाख रुपए तक कमाई करने वालों को अब इनकम टैक्स नहीं देना होगा, जिससे 92 प्रतिशत वैतनभीमी लोगों को राहत मिलेगी। इसके बावजूद भारत की खपत चीज़ों से 13 साल पीछे है। वर्ष 2023 में भारत में प्रति व्यक्ति खर्च 1,493 डॉलर था, जबकि चीन में वर्ष 2010 में ही ये 1,597 डॉलर था। माइक्रोफाइनेस सेक्टर में भी हालात ठीक नहीं हैं। माइक्रोफाइनेस सेक्टर में बढ़ता कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। दिसंबर 2024 तक इस सेक्टर के नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है और कुल लोन का 13 प्रतिशत है। अमीर-गरीब के बीच की खाई भारत में कभी छिपी नहीं रही है। यह खाई और चौड़ी हो गई है। माइक्रोफाइनेस का मतलब है गरीब परिवारों को बिना गारंटी के लोन देना। इन परिवारों की सालाना कमाई 3 लाख रुपये पे कम होती है। ज्ञानान्वयन परिवारों द्वारा दोनों लोन की दर अधिक है।

सीएम भगवंत मान का  
कहना है कि किसानों  
ने पंजाब को धरने  
वाला दाज्य बना दिया  
है। पिछले सोमवार को  
वह किसान नेताओं  
की मीटिंग को बीच में  
ही छोड़कर चले आए।  
अरविंद केजरीवाल  
भी इन दिनों पंजाब  
में विपर्यना कर रहे  
हैं मगर किसानों की  
मांगों परु चुप हैं। दिल्ली  
चुनाव में हार के बाद  
हालात इतनी तेजी से  
बदले कि किसानों को  
दिल्ली में धरने के लिए  
निमंत्रण देने वाली  
आम आदमी पार्टी  
की मान सदकार ने  
किसानों को चंडीगढ़ में  
एंट्री नहीं दी।

पंजाब-हरियाणा के शंभू और खन्नारी बॉर्डर पर किसान एक साल से धरने पर हैं और अब पंजाब के सीएम भगवंत मान की टेंशन बढ़ रही है। हालात अब किसान और पंजाब सरकार के बीच टकराव के स्तर पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी ने किसान अंदोलन को केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया मगर अब इन्हीं अनन्दाताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीएम भगवंत मान का कहना है कि किसानों ने पंजाब को धरने वाला राज्य बना दिया है। पिछले सोमवार को वह किसान नेताओं की मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले आए। अरविंद केजरीवाल भी इन दिनों पंजाब में विपश्यना कर रहे हैं मगर किसानों की मांगों पर चुप हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद हालात इतनी तेजी से बदले कि किसानों को दिल्ली में धरने के लिए निमंत्रण देने वाली आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने किसानों को चंडीगढ़ में एंट्री नहीं दी। पंजाब के किसान एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की कई मांगें केंद्र के साथ राज्य सरकार से भी हैं। शंभू और खन्नारी बॉर्डर पर किसानों का धरना एक साल से जारी है। माना जाता है कि पंजाब सरकार आप ने किसानों को दिल्ली का रास्ता दिखाकर आंदोलन को हवा दी थी। आप को उम्मीद थी कि किसान एक बार फिर दिल्ली पहुंचेंगे और केंद्र सरकार की मुसीबत बढ़ जाएगी मगर हरियाणा सरकार ने दानों बॉर्डर को बंद कर दिया। जानकारों का कहना है कि अगर हरियाणा में सत्ता बदल जाती तो सियासी खेल आसान हो जाता मगर हरियाणा में भाजपा ने हैट्रिक लगा दी और बॉर्डर बंद ही रहा। किसान अभी भी पंजाब की सीमा के भीतर टेंट लगाकर अभी बैठे हैं। अब यह दांव



जवाब दिया था कि किसान दिल्ली नहीं व क्या लाहौर जाएँगे? उन्होंने दिल्ली कूच महेनजर बवाना स्टेडियम को अस्थायी जे बनाने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को उकरा दिया था। इसके बाद केंद्र सरकार हरियाणा से दिल्ली तक किलोबंदी की औं किसान दिल्ली नहीं आ पाये। जानकारों व कहना है कि पांच साल पहले जब 2020 दिल्ली के सीएम अरविंद के जरीवाल सिंह बॉर्डर पहुंचे थे। तब उन्होंने कहा था कि व किसानों के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर न बल्कि सेवादार बनकर आए हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आंदोलन कर रहे किसानों को बिजली, पानी समेत तमाम सुविधाएँ दिलाने का बादा किया था और सुविधाएँ दी थी। राजनीतिक दलों के समर्थन के कारण 2020-21 के बीच किसान 379 दिनों त दिल्ली में जमे रहे। ट्रैक्टर मार्च निकाला औ लाल किले में उपद्रव भी हुए। यह बात अलौही है कि इस किसान आन्दोलन से जनता व भारी परेशानियां होने के साथ साथ अराधी रूपयों का नुकसान भी हुआ था। 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में किसानों की सेवा का फल मिला। पार्टी शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में विजयी रही हालांकि इस जीत मुफ्त विजली, किसानों को लोन माफी औ महिलाओं को 1000 रुपये देने जैसे बादें व भी बड़ा गोल रहा था। बताया जा रहा है कि इ

वादों को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार आज भी बजट का इंतजाम नहीं कर पाई है। अब भगवंत मान सरकार के लिए चुनावी वादे ही गले की हड्डी बन गए हैं। किसानों की मीटिंग से निकलने के बाद भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार को सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि सभी 3.5 करोड़ पंजाबियों के हितों का भी ध्यान रखना है। उनका कहना था कि प्रदर्शनों से व्यापारियों, व्यवसायियों, छात्रों, कर्मचारियों एवं आमजन को अत्यधिक परेशानी हो रही है। पंजाब की अर्थव्यवस्था रसातल में जाने के साथ-साथ इसकी पहचान धरने वाले स्टेट की बनकर रह गई है। उनका कहना है कि वे किसानों से बातचीत करने को तैयार हैं लेकिन उन्हें (किसानों को) अराजकता फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती। जानकारों की माने तो दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब किसान आंदोलन के लिए उन्होंने दिल्ली को केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मंच की तरह इस्तेमाल किया था। अब दिल्ली में सरकार बदल चुकी है। हरियाणा सरकार ने भी ग्रस्ता बंद कर दिया है। ऐसे में किसानों के पास चंडीगढ़ में ही आंदोलन का नया स्टेज बनाने की मजबूरी है। अगर चंडीगढ़ में एक बार किसानों का धरना शुरू हो गया तो केंद्र के बजाय भगवंत मान सरकार निशाने पर आ जाएगा। वहां आम लोगों के लिए आंदोलन से होने वाली दिक्कतों का बोझ उठाना भी आसान नहीं है। अब किसान आंदोलन को पहले जैसा राजनेताओं का समर्थन हासिल नहीं है। पंजाब में चुनावी साल होने के कारण किसान आंदोलन का लम्बे समय तक चलना मान सरकार के लिए किसी भी स्तर पर हितकर नहीं है। वैसे भी दिल्ली में आम आदमी की सरकार नहीं रहने से समय - समय पर चिल्लाने वाले नेताओं की आवाज अब बंद हो गई है।

-रामस्वरूप रावतसरे

# संविधान सभा में महिलाओं का अमूल्य योगदान

**भा**रतीय सांविधान का निर्माण कवल एक कानूनी दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया नहीं थी बल्कि यह एक नए भारत की सामाजिक और राजनीतिक दिशा तय करने का युगांतकारी प्रयास था। इस प्रक्रिया में जिन 15 महिलाओं ने हिस्सा लिया, उन्होंने अपने विचारों और संघर्षों के माध्यम से संविधान को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाया। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कम थी लेकिन उनके विचार और उनके द्वारा किए गए प्रयास भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में निर्णायक रहे। इन्होंने महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम सुरक्षा, संपत्ति के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर आवाज उठाई और यह सुनिश्चित किया कि भारतीय संविधान में महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिले। संविधान सभा की महिला सदस्यों में राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू, विजया लक्ष्मी पंडित, रेणुका रे, कमला चौधरी, पुर्णिमा बैनर्जी, एनी मस्कारेन, भागानाथी देवी, लीला रॉय, सुचिता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, अम्मू स्वामीनाथन और लक्ष्मी मेनन प्रमुख थीं। ये सभी महिलाएँ अपने-अपने क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य कर चुकी थीं और संविधान सभा में भी इन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम कुदसिया ऐजाज रसूल धर्मनिरपेक्षता की कट्टर समर्थक थी। वह समावेशी राष्ट्रीय पहचान की समर्थक

तक दै। सांविधान सभा का महिला सदस्यों के निर्माण में योगदान दिया, जिनका प्रभाव आज भी भारतीय समाज में देखा जा सकता है। इन्होंने समानता, संपत्ति के अधिकार, मातृत्व अवकाश, शिक्षा और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 महिलाओं को समानता का अधिकार और सरकारी नौकरियों में समान अवसर प्रदान करते हैं। अनुच्छेद 39 (डी) महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य के बदले समान वेतन सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 42 मातृत्व अवकाश और श्रम सुधारों को मजबूती प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 44 समान नगरिक संहिता (UCC) की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 243 (डी) के तहत आरक्षण की नींव रखी गई जिसे बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के तहत लागू किया गया। संविधान सभा की महिला सदस्यों के प्रयासों का दीर्घकालिक प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा। इन्होंने सुनिश्चित किया कि महिलाओं को शिक्षा स्वास्थ्य, रोजगार और राजनीति में समान अवसर मिले। इनके योगदान से ही आगे चलकर महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएँ लागू कीं “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ”, “विशाखा दिशानिर्देश”, और “यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013” जैसे कानून इन्हीं संवैधानिक प्रयासों का परिणाम हैं। संविधान सभा की महिला सदस्यों ने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को सुनिश्चित किया और एक ऐसे समाज की नींव रखी, जहाँ पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार मिले। भले ही इनकी संख्या कम थीं लेकिन इनके विचारों ने भारतीय संविधान को अधिक समावेशी और न्यायसंगत बनाया। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो हमें उन महिलाओं को जरूर याद करना चाहिए जिन्होंने एक नया भारत गढ़ने में अपनी भूमिका निभाई।

- जयासह रावत

## सवाल संसदीय परंपरा का

**ल**गातार दो बार प्रचंड बहुमत से दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने वाली आम आदमी पार्टी (आआपा) आसानी से इस बार विधानसभा चुनाव में हुई हार को पचा नहीं पा रही है। जिसके कार्यकाल में विधानसभा और संसदीय मर्यादा तार-तार हुई हो उसी पार्टी ने विधानसभा की पहली ही बैठक में उसके शासन के भ्रष्टाचार के राजनामों से जुड़े सीएजी (कैग) रिपोर्ट सार्वजनिक करने से बौखला कर विधानसभा को दंगल बनाने की असफल कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने आपा विधायकों को विधानसभा के साथ-साथ विधानसभा परिसर से निकाल दिया तो पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी समेत आआपा नेताओं ने इसे संसदीय लोकतंत्र पर हमला बताया। उनके अपने कार्यकाल में न तो नियमों के हिसाब से विधानसभा की बैठक बुलाई जाती थी और न ही विपक्ष को किसी सत्र में ढंग से बोलने दिया जाता था। विपक्ष यानी भाजपा के सदस्य ज्यादातर बैठकों में सदन से बाहर ही रहे। 1993 में दिल्ली विधानसभा का मौजूदा स्वरूप बनने के बाद इसकी नियमावली बनानेवाले दिल्ली विधानसभा और लोकसभा के पूर्व सचिव सुदर्शन कुमार शर्मा का कहना है कि विधानसभा से निष्कासन का मतलब विधानसभा परिसर से निष्कासन हो सकता है—इस पर चर्चा हो सकती है लेकिन वे कैसे सवाल उठा सकते हैं, जिन्होंने विधानसभा में कोई नियम ही लागू नहीं होने दिया। तभी तो दिल्ली संसोधन विधेयक पर बिल पास करवाने से पहले केन्द्रीय गृह मंत्री ने चेतावनी दी थी कि कहीं नियमों को न मानने वालों की सरकार विधानसभा से ही हाथ धो बैठे। आआपा के दिल्ली पर शासन के दौरान दिल्ली में तीन उप राज्यपाल बने और तीनों से उनकी लड़ाई चलती ही रही। आआपा ने कई नई परंपराएं शुरू करके सर्वेधानिक व्यवस्थाओं को खतरे में डाल दिया था। 2012 में नई पार्टी बनकर पहले 2013 में अल्पमत सरकार नियमों के खिलाफ बिना उप राज्यपाल की अनुमति से जन लोकपाल विधेयक विधानसभा में न लाने देने पर 49 दिन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसीका दे दिया। नियमों से परे जाकर सार्वजनिक अवकाश के दिन रामलीला मैदान में विधानसभा बुलाने पर केजरीवाल अड़े रहे। यह अलग बात है कि दो बार भारी बहुमत से सरकार बनने बाद दोबारा उनकी सरकार ने जन लोकपाल की चर्चा भी नहीं की गई। खुद अपने लोकपाल को पार्टी से ही विदा कर दिया। विधान में विधानसभा की बैठक अधिकतम छह महीने पर बुलाने का प्रावधान है। इसी के चलते लोकसभा से विधानसभा तक साल में तीन सत्र होते हैं। साल के शुरू में होने वाली बैठक को बजट सत्र कहा जाता है और उसकी शुरुआत संसद में राष्ट्रपति और दिल्ली में उप राज्यपाल के अभिभाषण से होता है। परंपरा के तौर पर सरकार के कामकाज को ही अभिभाषण में जगह दी जाती है। उस सत्र में इस प्रस्ताव को पास करवाने से लेकर बजट पास किया जाना मुख्य काम रहता है। जुलाई-अगस्त में होने वाले सत्र को मानसून और नवंबर-दिसंबर में होने वाले सत्र को शीतकालीन सत्र कहा जाता है।

- मनाज कुमार मश्र

हिन्दी समाचार पत्र

# राजस्थान की राजनीति



राजस्थान के सभी ज़िलों से  
खबरें एवं विज्ञापन  
कार्य हेतु प्रतिनिधि बनने  
के लिए सम्पर्क करें

 **7610866001**  
Email : hr.tniawaaz@gmail.com

**नोट :** अनुभवी एवं साफ छवि गाले व्यक्ति ही सम्पर्क करें

## आखिर कब तक जारी रहेंगे रियल एस्टेट के गोरखधंधे?

**चा** हे भूमि हो या सोना, इनकी कीमत अमूमन इसलिए बढ़ती रहती है क्योंकि इसमें देश-दुनिया के 'धनपशुओं' का निवेश होता है। यहां पर 'धनपशुओं' का अभिप्राय उन नेताओं, उद्यमियों, अधिकारियों, सफेदपेश अपराधियों और उन मध्यमवर्गीय पेशेवरों के समझदारी भरे गठजोड़ से है जो अवैधानिक रूप से खूब सम्पत्ति जोड़ते हैं और अपने नेटवर्क को लाभान्वित करते हैं। ऐसे लोग दुनियावी लोकतंत्र और संवैधानिक कानूनों को अपने आर्थिक हितों के मुताबिक समय समय पर मोड़वाते रहते हैं। मसलन, इस खेल में देशी-विदेशी पूँजीपतियों और इन जैसों की एक मजबूत लॉबी होती है जिनकी लक्षित लॉबिंग से अक्सर आम आदमी के दूरगमी हितों को कुचला जाता है। देश-दुनिया में जारी नई आर्थिक नीतियों ने इन्हें बेलगाम कर दिया है। क्रिप्टो करेंसी जैसी समानांतर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का बढ़ता प्रचलन और अधिकतर कैश लेन-देन में चलने वाले इनके बड़े-बड़े धंधे बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। कहीं टैरिफ वार और कभी तस्करी से इन्हीं जैसों को तो फायदा पहुंचता है। आप यदि थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो पाएंगे कि गोल्ड तस्करी और बेनामी जमीन-फ्लैट संपदा सौदा के लिए जो अस्पष्ट कानून हैं, उनका मकसद शायद इन्हें ही लाभान्वित करना होता है। आपने ग्रामीण भू-हदबंदी कानून जैसे शहरी भू-हदबंदी कानून के बारे में कभी नहीं सुना होगा। वह सिर्फ इसलिए कि अधिकतर शहरों में निवास कर रहे धनपशुओं को लाभान्वित किया जा सके। आपने प्रॉपर्टी लेन-देन ये ब्लैक मनी और व्हाइट मनी सम्बन्धी लेने देन की चर्चा धड़ल्ले से सुनी होगी, जो संवैधानिक कानून पर करारा तमाचा है। इतना ही नहीं, सरकारी बैंकों या संस्थाओं को ऐसे लोग चूना लगाते रहें, इसलिए फर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट्स, सोसाइटीज आदि को अलग अलग इकाई करार दिया गया, चिट-फंड्स कानून बनाए गए जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप यह जानकर हैरत में रह जाएंगे कि जिन लोगों की कम्पनियों को दिवालिया कानून का लाभ मिलता है, व अन्य प्रकार के नीतिगत छूट मिलते हैं, उनके परिजनों, मित्रों, नौकरों के पास भी अकूत सम्पत्ति होती है। ट्रस्ट और सोसाइटी जनसेवा कम, कर वंचना के अड्डे ज्यादा हैं। हमारे देश के ज्यादातर अधिकारी इसलिए अमीर बन जाते हैं कि हर गलत चीज पर आंखें मूँदने के लिए उन्हें 'उपकृत' किया जाता है। शहरों में रियल एस्टेट भी एक अभिजात्य वर्गीय कारोबार है जिसमें बड़े पैमाने पर कालेघन का निवेश किया गया है। यदि आप कहेंगे कि सोने और जमीन, मकान-दुकान-फ्लैट्स की राशनिंग कब होगी, इनमें निवेश की होदबंदी कौन करेगा, इन्हें आधार कार्ड से कौन जोड़ेगा, तो नेताओं-अधिकारियों को सांप सूंघ जायेगा। वहीं, शहरों में प्रॉपर्टी खरीद-बिक्री के साथ-साथ रेंटल धंधे में भी कई प्रकार की अनियमितता की बात बताई जाती है। ऐसा नहीं कि इन्हें नियमित किये जाने के लिए कानून नहीं बनाए जाते बल्कि उनमें भी सुराग छोड़ दिया जाते हैं और जमीन पर अनुपालन करवाने में प्रशासनिक दिलाई बरती जाती है। सरकार ने रेरा कानून भले बना दिए, पिर भी रियल एस्टेट के धंधे में अनियमितता पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। पूर्व के प्रोजेक्ट्स की भी सही जांच नहीं हुई है अन्यथा अबतक कई मामले प्रकाश में आए होते, खासकर नक्शे से ज्यादा फ्लैट्स बनाने व बेचने के। रेरा अधिकारियों को इस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। वहीं, आवासीय इलाकों में अवैध व्यवसायिक उपयोग भी सुलगता सवाल है जिस पर स्पष्ट नीति का अभाव महसूस किया जा रहा है। अवैध कॉलोनियों और झुग्गियों की बाढ़ का भी सही समाधान अबतक नहीं मिला। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि आखिर कब तक जारी रहेंगे रियल एस्टेट के गोरखधंधे? दरअसल, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कुछ रियल एस्टेट कंपनियों और उन्हें लोन देने वाले कुछ बैंकों की ओर से घर खरीदारों को बंधक बनाए जाने के मामले में कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने साफ कहा है कि लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई लगाई लेकिन मजबूर कर घर खरीदार को बंधक बना दिया गया। लिहाजा, कोर्ट ने बिल्डर-बैंकों के गठजोड़ की जांच के लिए सीबीआई को मामला सौंपने के संकेत दिये हैं। इससे मामले की गम्भीरता को समझा जा सकता है। यह तो महज बानगी है।

नके।  
मनी  
जो  
नहीं,  
रहें,  
को  
कानून  
यह  
नियों  
कार  
करें  
गाइटी  
ग के  
हर  
केया  
गण्य  
वेश  
पीन,  
इनमें  
कैन  
गेगा।  
स्टल  
तराई  
लिए

कानून नहीं बनाए जाते बल्कि उनमें भी सुराग छोड़ दिये  
जाते हैं और जमीन पर अनुपालन करवाने में प्रशासनिक  
दिलाई बरती जाती है। सरकार ने रेरा कानून भले बना  
दिए, फिर भी रियल एस्टेट के धंधे में अनियमितता पूरी  
तरह से समाप्त नहीं हुई है। पूर्व के प्रोजेक्ट्स की भी सही  
जांच नहीं हुई है अन्यथा अबतक कई मामले प्रकाश में  
आए होते, खासकर नक्शों से ज्यादा फ्लैट्स बनाने व  
बेचने के। रेरा अधिकारियों को इस पर श्वेत पत्र जारी  
करना चाहिए। वहीं, आवासीय इलाकों में अवैध  
व्यवसायिक उपयोग भी सुलगता सवाल है जिस पर स्पष्ट  
नीति का अभाव महसूस किया जा रहा है। अवैध  
कॉलोनियों और झुगियों की बाढ़ का भी सही समाधान  
अबतक नहीं मिला। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि आखिर कब  
तक जरी रहेंगे रियल एस्टेट के गोरखधंधे? दरअसल,  
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र  
(एनसीआर) में कुछ रियल एस्टेट कंपनियों और उन्हें  
लोन देने वाले कुछ बैंकों की ओर से घर खरीदारों को  
बंधक बनाए जाने के मामले में कड़ी आपत्ति जताई है।  
अदालत ने साफ कहा है कि लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई  
लगाई लेकिन मजबूर कर घर खरीदार को बंधक बना  
दिया गया। लिहाजा, कोर्ट ने बिल्डर-बैंकों के गठजोड़ की  
जांच के लिए सीबीआई को मामला सौंपने के संकेत दिए  
हैं। इससे मामले की गम्भीरता को समझा जा सकता है।  
यह तो महज बानगी है। - कमलेश पांडेय

# भारत-माला में भ्रष्टाचार... सीबीआई को हंगामा

**महंत बोले-पिछली सरकार का घोटाला मानकर जांच कराइए, सीएम बोले-कांग्रेस ने तो सीबीआई को बैन किया था**

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भारत माला पर्यायोजना में भ्रष्टाचार को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। इधर दौराने विधायी मंत्री टंकराम वर्मा ने भ्रष्टाचार होने की बात स्वीकारी की। उन्होंने हंगामे के बीच संभागीय आयुक्त से जांच कराने की घोषणा की, लेकिन विषयक CBI जांच की मांग पर अड़ा रहा। इस दौरान CM विष्णुदेव सायने ने नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की मांग पर कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तो CBI को बैन किया था। वहाँ बीजेपी विधायक रिकेश सेन ने कहा कि कांग्रेस को अब केंद्रीय एजेंसियों पर भरोसा कैसे हो गया, जो लोग CBI को बैन करते हैं और ED पर सवाल उठाते हैं, और खुद जांच की मांग कर रहे हैं।

मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा-



के दौरान राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने स्वीकार किया कि भारतमाला पर्यायोजना में अनियमिताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी

जारी होने के बाद रक्केके टुकड़े कर दिए गए। पहले से अधिकत

चरणदास महंत ने सरकार के जावाब पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि सिर्फ विधायक जांच से दोषियों को बचने का मौका मिल जाएगा। यह एक बड़ा घोटाला है, जिसमें कई प्रभावाली लोग शामिल हो सकते हैं। दोनों राजनीतिक दलों के लोग भी इसमें मिले हो सकते हैं। महंत ने कहा कि सिर्फ निलंबन से कुछ नहीं होगा, बल्कि दोषी अधिकारियों पर FIR दर्ज कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। निलंबन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिससे दोषी समय बाद पिल बहाल हो जाते हैं और उसी तरह से काम करते हैं।

जांच में कोताही नहीं बरती

जाएगी - सायं - मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने CBI जांच की मांग पर विषयक को बेंग और कहा कि राजस्व मंत्री नेता प्रतिपक्ष डॉ.

भूमि का घोटाला भू-अर्जन किया गया।

नेता प्रतिपक्ष ने CBI जांच की मांग की -नेता प्रतिपक्ष डॉ.

दिया है। अगर जांच में कोई शिकायत होगी तो हमें बताइए।

इसमें कांग्रेस को बतानी नहीं जाएगे।

बरिक पुलिस ने जिस तरह से अमन साव को मारा है, उसी तरह उनके बाके शब्दों को पुलिस लाकर दे।

दरअसल, अमन साव के एनकाउंटर के बाद FSL की टीम मंगलवार की देर शाम घटनास्थल पहुंच कर जांच की। इसके बाद मेंकल कांलेज में रखा गया है।

अमन साव की बात जांच की है। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को बचाने का कांशिक बरही है। इसलिए विषयक को कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा।

कुछात गेंगटर अमन साव के एनकाउंटर से शब्दों की टीम में डॉ विजय सिंह, डॉ आरक रंजन, डॉ एस के पिरो, डॉ उदय कुमार व डॉ

जिसकी विजय नहीं पहुंचे परिजन

करने वाली डॉक्टरों की टीम में डॉ

विजय सिंह, डॉ आरक रंजन, डॉ

पिरो, डॉ उदय कुमार व डॉ

लेकर परिजनों से बात की गई,

लेकिन उनकी ओर से कुछ भी सफारी बताया गया। अमन के पिरिजन अमन साव के कहा, हमारोग नहीं जाएंगे। पुलिस डॉक्टरों घर लाकर पहुंचे। पुलिस ने जैसा मारा है उसी तरह बड़ी लाकर दे।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद खलाफ - अमन साव का पोस्टमॉर्टम किया जा चुका है। अभी रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद ही चीज़े स्पष्ट होंगी। अमन साव को बिना गोली लागी है। एसे लेकर अलग-अलग तरह तरह की बातें हैं। खलाफों के मुताबिक अमन साव को तकरीबन 8 गोली लागी है। जिसमें से एक गोली छाती के बाएं पास की गोली पर खड़ा रहा है। अमन साव को निराजन के निर्देश पर मर्जिस्टेट की निगरानी में प्रभास्त्राचार के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात की है। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को बचाने का कांशिक बरही है। इसलिए विषयक को कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा।

सुशील पांडेय शामिल थे।

परिजनों का इंतजार कर रही

पुलिस - इधर, पोस्टमॉर्टम के बाद

बॉडी को पलामू में ही भेजिए राय

मेंकल कांलेज में रखा गया है।

पुलिस परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। SDPO मणि भूषण

ने प्रभास्त्राचार के पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन तक दिया।

वाँकाऊट के बाद चरणदास महंत

ने सदन में वाक़ीत कर दिया।

वाँकाऊट के बाद चरणदास की

परिजनों को पुलिस लाकर दे।

दरअसल, अमन साव के एनकाउंटर के बाद FSL की टीम मंगलवार की देर शाम घटनास्थल पहुंच कर जांच की। इसके बाद मेंकल कांलेज में रखा गया है।

पुलिस परिजनों के आने का इंतजार कर रही है।

जिता प्रशासन के निर्देश पर मर्जिस्टेट की निगरानी में प्रभास्त्राचार के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात की है। उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों को बचाने का कांशिक बरही है। इसलिए विषयक को कानूनी रास्ता अपनाना पड़ेगा।

परिजनों का आने का इंतजार कर रही है।

तमाम वरिष्ठ परिजनों की विजय निर्धारित है। उसके बाद विजय निर्धारित है।

तमाम वरिष्ठ परिजनों की विजय निर्धारित है।

तम



